

कब जायेगा दिनांक 11/6/18 को
 पुलापपुरा फा 80 मसखर की का.नं. 848, 349
 मुल जिला - 2 मुल खजवा 1.0270 रुमि
 में कापीकरण का 116 हुकम दिसा व पुनिले
 1 रु 5 का 112 हुकम दिसा व पुनिले 6 का
 116 हुकम दिसा पुनिले 7 का 116 हुकम दिसा
 मुमि वत विभाजन करके वत निषेध
 किया)

कार्यक्रम का बादपत्र अलखी
 धारा 53 R.F. वत स्वीकार करता
 उचित प्रतीत होता है मजलदिसा का
 पत्रावली का कापलोनल दिसा का
 दाखिले का कादर पर कापीकरण का
 बादपत्र स्वीकार करता उचित प्रतीत होता है

अतः कापीकरण का बादपत्र अलखी

धारा 53 R.F. वत स्वीकार कर
 किया दिसा अलखी का पुलापपुरा फा 80
 मसखर की का.नं. 848, 349 मुल
 जिला - 2 मुल खजवा 1.0270 रुमि में
 कादर का 116 हुकम दिसा व पुनिले 1 रु 5
 का 112 हुकम दिसा व पुनिले 6 का 116 हुक
 दिसा पुनिले 7 का 116 हुक दिसा मुमि वत
 मी 2 व वत कापीकरण का अलखी व अलखी
 का अलखी व अलखी व अलखी मुमि वत
 विभाजन करके वत वत लखी लखी लखी
 वत 1.0270 रुमि वत वत वत वत वत वत
 निम्नलिखित कर पत्रावली में पाश्चिमि दिसा
 लखी का जालि पर जाली दिसा का
 पत्रावली का लखी रिपोर्ट के दि. 16/6/18 का
 पत्रावली

Handwritten signatures and notes on the right margin.

सहायक जज
 (उपखण्ड अदालत)
 वेतु (वितीदल)